7/10/19 तारीख …

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/10/2019

वउनवान

1. उत्तमचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
2. खुशीराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
3. जालिम पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
4. फूलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
5. मोहन पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
6. विश्णू पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
7. नेकराम पुत्र परिसेन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
8. सुरेश पुत्र परिसेन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
9. राधे पुत्र परिसेन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
   तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीयान

बनाम

1. केशवदेव पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
2. गोपाल पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
3. नत्थी पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
4. नारायण पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
5. बुद्दीलाल पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
6. मुरारीलाल पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
7. मनोहरलाल पुत्र मूला जाति खटीक निवासी खेरलीरेल
   तहसील कठूमर जिला अलवर
8. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर
   अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

श्री सुभाशचन्द शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायलान

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 7

पैरोकार सरकार –गैरसायल सं0 8

आदेश

दिनांक 18.11.2022

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीयान एंव अप्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1029 रकवा 0.19 हे. ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 1030 रकवा 0.57 हे. ग्राम खेरलीरेल में स्थित है जो आराजी अप्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीयान द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1029 की पैमाइस का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार कठूमर के समक्ष पेश किया आवेदन पत्र पर तहसीलदार कठूमर द्वारा पटवारी हल्का खेरलीरेल एंव कानूनगौ द्वारा पैमाइस कराई गई जो रिपोर्ट दिनांक 16.06.2019 को तैयार की गई। मुताविक पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 16.06.2019 प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 1029 की उत्तरी मेड, 1030 में दो गटठा टूटी हुई पाई गई। जिस पैमाइस की जानकारी अप्रार्थीयान को है। प्रार्थीयान द्वारा अप्रार्थीयान को दिनांक 22.06.2018 को दो गटठा जमीन छोडने की कहने पर अप्रार्थीयान भूमि छोडने को तैयार नहीं है तथा झगडा करने को अमादा है। अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताविक पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 16.06.2019 के आराजी खसरा नम्बर 1029 की दो गटठा जमीन निकलवाई जाकर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव

किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 ला0 7 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीयान की जानकारी व उपस्थिति में कोई पैमाइस दिनांक 16.06.2019 को नहीं हुई। यदि कोई पैमाइस हुई है तो उसकी हमें ना तो कोइ सूचना दी गई और ना उस पैमाइस पर हमारे हस्ताक्षर है। मौके पर कोई डौल टूटी नहीं है। यदि पत्थरगढी होती है तो पहले हमारी उपस्थिति में मुंतकिल विन्दु से पैमाइस दोनों की की जो उसके वाद चिन्ह कायम कर दोनों खेतो की पत्थरगढी की जावे। हमारी जमीन खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज0

1030 में प्रार्थीयान की कोई जमीन टूटी हुई नहीं है। नत्थू पुत्र मूला एक साल पूर्व मर गया है उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिये आज तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत दर्ज कराये है इस वजह से प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। यदि पत्थरगढी की जाती है तो दोनों पक्षों की मौजूदगी में मुन्तकिल विन्दु से पैमाइस कराई जावे। अप्रार्थी सं0 8 की ओर से पेरोकार सरकार ने अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया किया है।

प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी पर्चा मौका दिनांक 16.06.2019 नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2074 से 2077 किता 2 वाके ग्राम खेरलीरेल पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान, अप्रार्थीयान व पैरोकार सरकार को सुना। मुताविक जमाबन्दी खसरा नम्बर 1029 प्रार्थीयान की व खसरा नम्बर 1030 अप्रार्थीयान की खातेदारी में दर्ज है। पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 16.06.2019 संतुश्ट नहीं है। अप्रार्थीयान ने मुन्तकिल विन्दु से उनकी उपस्थिति में पैमाइस करने व निशादेही कर पत्थरगढी करने की सहमति दी है। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी में वुवी फसल के कट जाने के वाद (खेत खाली होने पर) दोनों पक्षों की उपस्थिति में मुन्तकिल विन्दु से विधि के अनुसार पैमाइस कर निशादेही करें व पक्षकारान के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)